



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 भाद्र 1942 (श10)
(सं0 पटना 538) पटना, सोमवार, 7 सितम्बर 2020

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

7 सितम्बर 2020

सं० 03/मेट्रो रेल/04-05/2020-1590/न०वि० एवं आ०वि०—नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या-575, दिनांक-19.08.2020 द्वारा बिहार भवन उपविधि, 2014 के अध्याय- II, प्रशासन के अन्तर्गत उपविधि-5(6) में उपकंडिका-(xi) में निहित प्रावधान के आलोक में पटना महायोजना-2031 के अन्तर्गत पटना मेट्रो रेल परियोजना के स्वीकृत कॉरिडोर के दोनों ओर 20-20 मीटर की दूरी तक के क्षेत्रों में संरचनाओं के निर्माण को विनियमित करने हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के भवनों के निर्माण के पूर्व अनापत्ति के निर्णय हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में निम्नवत् समिति गठित की जाती है :-

- | | | |
|---|---|---------|
| (1) मुख्य सचिव, बिहार | — | अध्यक्ष |
| (2) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग | — | सदस्य |
| (3) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग | — | सदस्य |
| (4) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग | — | सदस्य |
| (5) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग | — | सदस्य |
| (6) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उर्जा विभाग | — | सदस्य |

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय प्रकाश मंडल,
विशेष सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 538-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>